

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)  
पीठासीन अधिकारी :- विकास पंचोली ( R.A.S.)

प्रकरण संख्या: - 199/2023 वाद  
GCMS No. - 2023/606

मुन्नी बाई पत्नी शांतिलाल भील निवासी पीरखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला  
चित्तौड़गढ़ राज0।

-वादिया

//बनाम//

1. उदयराम पुत्र शंकर भील निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. गंगाराम पुत्र नोला भील निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. मोहन पुत्र नोला भील निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. शांतिबाई पत्नी शंकर भील निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

-प्रतिवादीगण



वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

उपरिस्थित :- 1- श्री ऋषभ कुमार सेठिया - अधिवक्ता वादिया

:: निर्णय ::

दिनांक :- 08.04.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादिया ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा फलवा पटवार हल्का फलवा तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित खाता संख्या 316 की आराजी नम्बर 539 रकबा 0.4400 हैक्टेयर लगानी 8 रूपये 36 पैसा, आराजी नम्बर 541 रकबा 0.2300 हैक्टेयर लगानी 5 रूपये 87 पैसा, आराजी नम्बर 542 रकबा 0.1300 हैक्टेयर गे0मु0 चाह, आराजी नम्बर 543 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, लगानी 20 पैसा, आराजी नम्बर 544 रकबा 0.2300 हैक्टेयर लगानी 5 रूपये 87 पैसा, आराजी नम्बर 545 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, लगानी 8 रूपये 42 पैसा, आराजी नम्बर 546 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, लगानी 1 रूपये 90 पैसा, कुल कितना कुल रकबा 1.7800 हैक्टेयर कुल लगानी 30 रूपये 62 पैसा स्थित है। इसी प्रकार वाके मौजा फलवा पटवार हल्का फलवा तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित खाता संख्या 209

सहायक कलक्टर  
निम्बाहेड़ा



की आराजी नम्बर 536 रकबा 0.4400 हैक्टेयर लगानी 5 रूपये 28 पैसा स्थित है। साक्ष्य में नकल जमाबन्दी पेश है।

2. वादग्रस्त आराजियात वादिया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादग्रस्त खाता संख्या 316 में वादिया का 1/6 हक हिस्सा व प्रतिवादीगण का हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा है, इसी अनुसार वादग्रस्त खाता 209 में वादिया का 1/3 हक हिस्सा व प्रतिवादीगण का हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। इसी अनुसार वादिया व प्रतिवादीगण राजस्व रेकार्ड में दर्ज अपने-अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजियात संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने की वजह से लगान को लेकर व रकबे की कमी पेशी को लेकर आये दिन वादिया व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद होता रहता है इसलिए वादिया ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजियात का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार व मौके पर काबिज अनुसार बटवाडा बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण टाल चाल कर रहे हैं तथा बटवारा कराने से इंकार हो गये हैं तथा वादिया व गांव के मौतबीर व्यक्तियों द्वारा प्रतिवादीगण को समझाने बुझाने पर भी प्रतिवादीगण किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है, इसलिए वादिया वादग्रस्त खाता संख्या 316 में वादिया का 1/6 हक हिस्सा व वादग्रस्त खाता संख्या 209 में वादिया का 1/3 हक हिस्से का बटवारा मौके पर काबिज अनुसार व राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार बटवाडा बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जावे। वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा फलवा पटवार हल्का फलवा तहसील निम्बाहेडा की वादग्रस्त खाता संख्या 316 में वादिया का 1/6 हक हिस्सा व वादग्रस्त खाता संख्या 209 में वादिया का 1/3 हक हिस्सा मौके पर काबिज अनुसार एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार बटवाडा बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जाकर वादिया का हक हिस्सा अलग खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण का राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार हक हिस्सा बदस्तुर शामिल रखाया जावे।



3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगणों के विरुद्ध एक तरफा कार्यावाही के आदेश दिये गये।
4. प्रकरण में साक्ष्य एवं बहस के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर दिनांक 27.12.2023 को वादी का दावा प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार निम्बाहेडा को 1000/-रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये गये कि वाके मौजा फलवा पटवार हल्का फलवा तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 316 की आराजी नम्बर 539 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 541 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 542 रकबा 0.1300 हैक्टेयर गे0मु0 चाह, आराजी नम्बर 543 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 544 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 545 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 546 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, कुल किता-7 कुल रकबा

1.7800 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 209 की आराजी नम्बर 536 रकबा 0.440 हैक्टेयर स्थित भूमि का बंटवारा वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार बदस्तुर शामिल रखा जावे। तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/241 दिनांक 13.02.2024 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो माफिक आदेशानुसार है।

5. अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा फलवा पटवार हल्का फलवा तहसील निम्बाहेडा का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:-

1.- श्रीमति मुन्नीबाई पत्नि शांतिलाल भील निवासी पीरखेडा खातेदार

आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	लगान (रूपये)
536	0.44	-

किता-1 कुल रकबा 0.44 हैक्टेयर -

2.- श्री गंगाराम पिता नोला 1/4, मोहन पिता नोला 1/4, उदयराम पुत्र शंकर 1/4, शान्तिबाई पत्नि शंकर 1/4 भील निवासी फलवा रहन बदस्तुर

आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	लगान (रूपये)
539	0.44	-
541	0.23	-
542	0.13	-
543	0.04	-
544	0.23	-
545	0.33	-
546	0.38	-

किता-7 कुल रकबा 1.78 हैक्टेयर -

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विकास पंचोली)  
सहायक कलक्टर  
निम्बाहेडा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ (राज.)  
पीठासीन अधिकारी :- विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या: - 199/2023 वाद  
GCMS No. - 2023/606

मुन्नी बाई पत्नी शांतिलाल भील निवासी पीरखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला  
चित्तौड़गढ़ राज0।

-वादिया


बनाम

1. उदयराम पुत्र शंकर भील निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. गंगाराम पुत्र नोला भील निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. मोहन पुत्र नोला भील निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. शांतिबाई पत्नी शंकर भील निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955

प्रकरण आज दिनांक को वादिया के अधिवक्ता श्री ऋषभ कुमार सेठिया की उपस्थित में पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत हुई। प्रकरण में दिनांक 27.12.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसमें तहसीलदार निम्बाहेड़ा को कमिश्नर 1000/-रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वादिया का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1000/-रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये गये कि वाके मौजा फलवा पटवार हल्का फलवा तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 316 की आराजी नम्बर 539 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 541 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 542 रकबा 0.1300 हैक्टेयर गे0मु0 चाह, आराजी नम्बर 543 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 544 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 545 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 546 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, कुल किता-7 कुल रकब 1.7800 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 209 की आराजी नम्बर 536 रकबा 0.440 हैक्टेयर स्थित भूमि का बंटवारा वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार बदस्तुर शामिल रखा जावे। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने



कलक्टर



अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/241 दिनांक 13.02.2024 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत प्रस्तुत किये हैं जो स्वीकार योग्य है। फर्द विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा फलवा पटवार हल्का फलवा तहसील निम्बाहेड़ा का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:-

श्रीमति मुन्नीबाई पत्नि शांतिलाल भील निवासी पीरखेडा खातेदार	रकबा (हैक्टेयर)	लगान (रूपये)
आराजी नम्बर		
536	0.44	-

किता-1 कुल रकबा 0.44 हैक्टेयर -


श्री गंगाराम पिता नोला 1/4, मोहन पिता नोला 1/4, उदयराम पुत्र शंकर 1/4, शान्तिबाई पत्नि शंकर 1/4 भील निवासी फलवा रहन बदस्तुर	रकबा (हैक्टेयर)	लगान (रूपये)
आराजी नम्बर		
539	0.44	-
541	0.23	-
542	0.13	-
543	0.04	-
544	0.23	-
545	0.33	-
546	0.38	-

किता-7 कुल रकबा 1.78 हैक्टेयर -

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आज तारीख 08.04.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।



  
(विकास पंचोली)  
सहायक कलक्टर  
निम्बाहेड़ा  
सहायक कलक्टर  
निम्बाहेड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)  
पीठासीन अधिकारी :- विकास पंचोली ( R.A.S.)

प्रकरण संख्या - 144 / 2021 वाद  
GCMS No. - 2021 / 386

संतोषीबाई पत्नी बालुराम बलाई निवासी मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।  
-वादिया

// बनाम //

1. काना पुत्र माना चमार निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. गोतम पुत्र माना चमार निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. द्रोपतीबाई पुत्री रुपा चमार निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. भेरु पुत्र माना चमार निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. मोतिया पुत्री रुपा चमार निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
6. लक्ष्मीबाई पत्नी रुपा चमार निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
7. श्यामलाल पुत्र रुपा चमार निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
8. शांतिलाल पुत्र रुपा चमार निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
9. सागरमल पुत्र रुपा चमार निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।  
-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

उपस्थित :- 1- श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव - अधिवक्ता वादिया

:: निर्णय ::

दिनांक :- 08.04.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादिया ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादिया एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त आनेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा मालियाखेड़ी पटवार हल्का फलवा तहसील निम्बाहेड़ा में स्थिति खाता संख्या 87 की आराजी नम्बर 292 रकबा 0.5000 हैक्टेयर लगानी 9 रुपये में स्थित है। साक्ष्य में नकल जमाबन्दी पेश है।



1 सहायक कलक्टर  
निम्बाहेड़ा



वादग्रस्त आराजियात वादिया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काशत में चली आ रही है। वादग्रस्त आराजियात में वादीया का 1/2 हक हिस्सा, तथा प्रतिवादीगण का हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा हैं, तथा वादिया राजस्व रेकार्ड में दर्ज अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर, उपयोग उपभोग करती चली आ रही हैं। वादग्रस्त आराजियात संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने की वजह से लगान को लेकर व रकबे की कमी पेशी को लेकर आये दिन वादिया व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इसलिए वादिया ने प्रतिवादीगणों को वादग्रस्त आराजियात का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज अनुसार, बटवाड़ा बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कराने हेतु प्रतिवादीगणों को कहा तो प्रतिवादीगण टाल चाल कर रहे हैं, तथा बटवाड़ा कराने से इंकार हो गये है इसलिए वादग्रस्त आराजियात का मौके पर काबिज अनुसार बटवारा बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जाकर वादिया का 1/2 हक हिस्सा अलग किया जावें तथा प्रतिवादीगण का राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार शामिलती रखा जावें

3. वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात का मौके पर काबिज अनुसार बटवारा किया जाकर, वादिया का 1/2 हक हिस्से की आराजियात वादिया का अलग खातेदारी में दर्ज किया जावें, तथा लगान की फाटनी की जावें। प्रतिवादीगण का हक हिस्सा बदस्तुर शामिलती रखाया जावें।
4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामील एवं सूचना के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगणों के विरुद्ध एक तरफा कार्यावाही के आदेश दिये गये।
5. बहस विद्वान अधिवक्ता वादिया सुनी गई। प्रकरण में साक्ष्य एवं बहस के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर दिनांक 14.08.2023 को वादी का दावा प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार निम्बाहेडा को 1000/-रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि विवादित भूमि मौजा मालियाखेड़ी पटवार हल्का फलवा तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 87 की आराजी नम्बर 292 रकबा 0.5000 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्सा अनुसार एवं मौके पर काबिज अनुसार किया जावें। वादिया का हक हिस्सा अलग खातेदारी में दर्ज किया जावें तथा प्रतिवादीगण का हक हिस्सा बदस्तुर शामिलती रखा जावें। पंहुच मार्ग सुनिश्चित करे। तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/414 दिनांक 07.03.2024 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो माफिक आदेशानुसार है।
6. अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा मालियाखेड़ी पटवार हल्का फलवा तहसील निम्बाहेडा का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:-

1.- श्री सन्तोषीबाई पत्नि बालूराम बलाई सा0 देह खातेदार लीज नोट बदस्तुर		
आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	लगान (रूपये)
292/1 दक्षिण	0.25	4.75



मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ (राज.)  
पीठासीन अधिकारी :- विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या - 144/2021 बाद  
GCMS No. - 2022/386

संतोषीबाई पत्नी बालुराम बलाई निवासी मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़  
राज0। // बनाम // -वादिया

1. काना पुत्र माना चमार निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
  2. गोतम पुत्र माना चमार निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
  3. द्रोपतीबाई पुत्री रुपा चमार निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
  4. भेरु पुत्र माना चमार निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
  5. मोतिया पुत्री रुपा चमार निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
  6. लक्ष्मीबाई पत्नी रुपा चमार निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
  7. श्यामलाल पुत्र रुपा चमार निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
  8. शांतिलाल पुत्र रुपा चमार निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
  9. सागरमल पुत्र रुपा चमार निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
  10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

प्रकरण आज दिनांक को वादिया के अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव की उपस्थिति में अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत हुई । प्रकरण में दिनांक 14.08.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसमें तहसीलदार निम्बाहेड़ा को कमिश्नर 1000/-रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि विवादित भूमि मौजा मालियाखेड़ी पटवार हल्का फलवा तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 87 की आराजी नम्बर 292 रकबा 0.5000 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्सा अनुसार एवं मौके पर काबिज अनुसार किया जावे। वादिया का



हिस्सा अलग खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण का हक हिस्सा बदस्तुर शामिल किया जावे। पंधुच मार्ग सुनिश्चित करे। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/414 दिनांक 07.03.2024 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो स्वीकार योग्य है। फर्द विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित है।

1. अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा मालियाखेडी पटवार इल्का फलवा तहसील निम्बाहेड़ा का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:-

1.- श्री सन्तोषीबाई पत्नि बालूराम बलाई सा0 देह खातेदार लीज नोट बदस्तुर		
आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	लगान (रुपये)
292/1 दक्षिण	0.25	4.75

किता-1 कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर 4.75

2.- श्री काना 1/4, गोतम 1/4, भेरु 1/4 पिता माना, सागरमल 1/24, शान्तिलाल 1/24, श्यामलाल 1/24, द्रोपदीबाई 1/24, मोतिया 1/24 पिता रूपा, लक्ष्मीबाई पत्नि रूपा 1/24 चमार सा. फलवा खातेदार लीज बदस्तुर

आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	लगान (रुपये)
292/1 दक्षिण	0.25	4.75

किता-1 कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर 4.75

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विकास पंचोली)  
सहायक कलक्टर  
निम्बाहेड़ा  
सहायक कलक्टर  
निम्बाहेड़ा